an>

Title: Need to simplify the legal aspects involved in postmortem.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक कठिनाई की तरफ खींचना चाहता हूं। आज कहीं संदेहास्पद मृत्यु, दुर्भाग्यपूर्ण घटना या हत्या में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में परिवार वैसे ही दुखद अवस्था में होता है लेकिन पोस्टमार्टम के लिए परिवार बहुत कठिनाई झेलता है। मान लीजिए अगर आज मृत्यु हुई, आज का दिन, आज की रात, कल का दिन, कल की रात तक परिवार दुखद स्थिति में लाश लेकर पड़ा रहता है। पुलिस वहां भी तांडव करती है। इस तरह से कफन में से श्वित खसोटी की कहावत चरितार्थ होती है। आज मानव चांद पर चला गया, मंगल पर जा रहा है, डिजिटल गवर्नमेंट हो रही है, ई-बैंकिंग हो गई है, रेल मंत्रालय ट्विटर पर आई समस्या पर हैल्प पहुंचा रहा है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में इतना बड़ा काम हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए कि पोस्टमार्टम के लिए किसी को 30 घंटे इंतजार न करना पड़े ताकि उसे जल्द से जल्द सुविधा मिले।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Vinod Kumar Sonkar,

Shri Sushil Kumar Singh and

Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : ... *

HON. DEPUTY SPEAKER: His previous issue will not go on record.